विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री नरेश चन्द्र उत्तम, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तरः-

प्रश्न		उत्तर
15	(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में किसी बस को निष्प्रयोज्य घोषित करने के मानक क्या है ?	उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के मानक निम्नवत हैः- (1) निगम बस (साधारण) जिसका रेनोवेशन न हुआ हो 10 वर्ष 11 लाख कि0मी0 संचालित हुयी हो तथा बस का ह्रासित मूल्य कुल मूल्य का 12 प्रतिशत (2) निगम बस (साधारण) जिसका मिनी रेनोवेशन हुआ हो 10 वर्ष 11.5 लाख कि0मी0 संचालित हुयी हो तथा बस का ह्रासित मूल्य कुल मूल्य का 12 प्रतिशत (3) निगम बस (साधारण) जिसका पूर्ण रेनोवेशन हुआ हो 10 वर्ष 12 लाख कि0मी0 संचालित हुयी हो तथा बस का ह्रासित मूल्य कुल मूल्य का 20 प्रतिशत (जीर्णोद्धार के उपरान्त बस को 4.00 लाख कि0मी0 अथवा 04 वर्ष जो भी बाद में हो अवश्य संचालित किया जायेगा)। (4) 15 वर्ष एवं 15 वर्ष से अधिक आयु की वाहनों के संचालित कि0मी0 एवं ह्रासित मूल्य की कोई सीमा नहीं।
	(ख) जनरथ जैसी बसों से बस के अन्दर पानी टपकने जैसी शिकायतों के निस्तारण पर क्या कार्यवाही की गई ?	बसों में पानी टपकने तथा बसों की भौतिक दशा उच्च स्तर की बनाये रखने के लिए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा बसों में पानी टपकने के प्रकरण को गम्भीरता से लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। गोरखपुर क्षेत्र की वाहन संख्या-यूपी0-53 ए0टी0-4101 में छत से पानी टपकने के प्रकरण में आदेश संख्या-12259 दिनांक 21.07.2022 द्वारा जूनियर फोरमैन को निलम्बित किया गया। इसके अतिरिक्त बसों की भौतिक दशा अच्छी दिये जाने के बावजूद दिनांक 21.03.2023 को लखनऊ क्षेत्र की बस संख्या-यूपी0-33 ए0टी0-4761 में बस की छत से पानी बस के अन्दर आने का प्रकरण संज्ञान में आने पर दोषी पाये गये जूनियर फोरमैन तथा टिन स्मिथ को निलम्बित किया गया।

(ग) मानकों के आधार पर कितनी बसें इस समय निष्प्रयोज्य होने योग्य है, और इन निष्प्रयोज्य बसों की कमी सरकार कैसे पूरी करेंगी ?

माह सितम्बर 2022 से वर्तमान तक 1891 सेट-अर्पाट हो चुकी बसों के अतिरिक्त नीलामी की शर्तो को पूर्ण करने वाली 203 बसों के प्रस्ताव परिवहन निगम मुख्यालय में प्राप्त हुए है, जिनको नीलामी हेतु क्षेत्रों के बस बेड़े से पृथक किये जाने की प्रक्रिया गतिशील है।

निष्प्रयोज्य घोषित बसों की कमी को निम्नानुसार पूरा किये जाने की प्रक्रिया गतिशील है :-

(I) वर्ष 2022-2023 में उ0प्र0 परिवहन निगम के बस बेडे में 582 बसों को बस बेड़े में सम्मिलित किया गया।

(II) वर्ष 2023-2024 में उ0प्र0 परिवहन निगम में 443 बसें सम्मिलित की गई है एवं 650 बसों का क्रयादेश निर्गत करके बस बॉडी बनाने की कार्यवाही गतिशील है।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।